न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–105/16–17

प्रकाश तिवारी बनाम सर्वेश कुमार सिंह वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
20/10/22	अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा न्यायालय, अंचल अधिकारी प्रतापपुर का विविध वाद संख्या–07/2015 श्री प्रकाश तिवारी बनाम पारसनाथ सिंह से संबंधित मूल अभिलेख विपक्षी के जमाबंदी को निरस्त करते हुए प्रथम पक्ष के नाम से जमाबंदी दर्ज करने हेतु अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन/बहस समर्पित किया गया। द्वितीय पक्ष के पारसनाथ सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण सर्वेश कुमार सिंह, अखिलेश कुमार सिंह तथा शैलेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 पारसनाथ सिंह को पक्षकार बनया गया है। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि**–यह कि प्रस्तुत अभिलेख का संधारण अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा प्रकाश तिवारी के आवेदन पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया था। यह कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा पारित किया आदेश विधिपूर्ण एवं बिहार रिकॉर्ड मेन्टेनेन्स एक्ट 1973 के आधार पर किया गया है तथा श्रीमान् के न्यायालय में अनुशंसा हेतु अग्रसारित किया गया है। यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा 29.03.2016 को पारित आदेश में विपक्षी का केवाला को अवलोकन किया तथा पाया गया कि केवाला में दो प्रकार का हुकुमनामा दर्शाया गया, जिसमें 2000 एवं 2007 सम्वत् का होना दर्शाया गया है तथा जमीन्दारी रसीद का माल भिन्न–भिन्न प्रकार सा है तथा यह बतलाया गया है कि इनके पिता BLR Act के तहत् दिये जाने वाला बकास्त प्लॉट सख्या 08 का जिक्र नहीं है। प्लॉट सख्या 08 के स्थान पर 04 का जिक्र किया गया है तथा विपक्षी का चल रहे जमाबंदी विधिपूर्ण नही तथा जमीन पर दखल–कब्जा भी नहीं है, जिस कारण से	

1 Misc

[illegible] 15 [illegible] द्रौपदी [illegible] अपने बन्दोबस्त वाली [illegible] लगाकर अपने [illegible] के बाद बिहार [illegible] सरकार के द्वारा [illegible] के नाम से सरकारी [illegible] तथा द्रौपदी कुँवर के [illegible] यह कि भूतपूर्व जमींदार के द्वारा द्रौपदी [illegible] दाखिल किया गया तथा [illegible] द्रौपदी कुँवर को रैयती मान्यता [illegible] सरकार ने द्रौपदी कुँवर [illegible] तथा द्रौपदी कुँवर ने सरकार को लगान [illegible] एवं सुरजदेव तिवारी, [illegible] भागवत तिवारी के नाम से [illegible] सरकारी मालगुजारी रसीद [illegible] तिवारी, चन्द्रदेव तिवारी उर्फ चन्द्रकिशोर [illegible] द्रौपदी कुँवर के मरने के बाद तीन [illegible] कर लिये। यह कि प्रश्नगत जमीन [illegible] चन्द्रकिशोर तिवारी के खास कब्जे में [illegible] चन्द्रकिशोर तिवारी अपने हिस्से वाली जमीन [illegible] यह कि आवेदक व्यस्क होने के बाद [illegible] पंचायत सेवक होने के [illegible] वाली जमीन का डिमाण्ड पंजी 2

कायम कराकर सरकारी मालगुजारी रसीद करा लिया है, जबकि विपक्षी के पूर्वज के द्वारा प्राप्त किया गया बिक्रय–पत्र में दर्शायी गई जमीन खेवट 2/1 का होना दर्शाया गया है, जबकि प्रश्नगत जमीन खेवट 2/1 का होना दर्शाया गया है, जबकि प्रश्नगत जमीन खेवट संख्या–6 के अंदर खाता संख्या–01 एवं 06 की जमीन है। यह कि श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराना है कि विपक्षी का बिक्रय–पत्र में खाता, प्लॉट, रकवा एवं चौहद्दी नही दर्शाया गया है। केवल खेवट 2/1 दर्शाया गया है। यह कि विपक्षी का जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश का ही खोला गया है। यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा विपक्षी के द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेज एवं जमाबंदी पंजी 2 के अवलोकन करने के पश्चात् पाया कि विपक्षी का जमाबंदी नियमतः नही खोला गया है तथा काफी त्रुटिपूर्ण पाया गया और हुकुमनामा सम्वत् 2000 एवं 2007 का हुकुमनामा दर्शाया गया है, जो संदेह उत्पन्न करता है, तथा जमीन्दारी रसीद में दर्शायी गई माल भिन्न–भिन्न प्रकार से है, इसी प्रकार विपक्षी का जमाबंदी संदेहास्पद होने के कारण विद्वान अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा आवेदक के नाम से जमाबंदी कायम करने के आदेश के अनुशंसा हेतु श्रीमान् के समक्ष भेजा गया है। यह कि विपक्षी का प्रश्नगत जमीन पर कभी भी दखल कब्जा नही है और ना ही कभी रहा है। यह कि भू–राजस्व कर्मचारी के द्वारा 12.04.2016 को अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–08, रकवा–8.70 एकड़ भूमि पर प्रकाश तिवारी का दखल–कब्जा है तथा बकास्त खाता की जमीन है। यह कि जमाबंदी दखल–कब्जे में आधारित है तथा द्वितीय पक्ष का कभी भी दखल–कब्जा नही रहा है तथा विपक्षी के द्वारा दाखिल किया गया माननीय, उच्च न्यायालय निर्णय Applicable नहीं है। यह कि माननीय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा दीपा तिवारी बनाम सरकार में निर्णय दिया गया है In the case of Khiru Gope & others the persons who obtained a settlement from the ex-intermediatory filed an application for fixation of rent before the Deupty Collector who was allowed after due crupting. The state of Bihar had been accepting the rent from the said person for a number of year but lateron application filed by it before the L.R.D.C. who cancelled the jamabandi. In such situation L.R.D.C. had no jurisdiction or power to cancel the Jamabandi and temove the name of the petitioner from the tenants register. Civil court ruling 2005 (i) Page No. 206 Jharkhand jamabandi cancellation of proper course is to approached in cancellation of

jamabandi in summary proceeding by S.D.O held without jurisdiction, impugned order quashed by Hon'ble High Court. P.L.J.R. 2001 (3) Page No. 223 (3) Bihar Tenants holding (Maintenance of record Act 1973 Sec. 14 Mutation is for collection of land revenue on the basis of possession right, title and interest of the parties are not decided. यह कि उपरोक्त निर्णय आवेदक के वाद से समानता रहने के कारण Applicable है। यह कि विपक्षी पारसनाथ सिंह के द्वारा अपने जवाब में केवाला के आधार पर दावा किया है, परंतु विपक्षी का बिक्रय–पत्र देखने मात्र से स्पष्ट है कि विपक्षी खेवट 2/1 की जमीन को खरीदगी जमीन बताते है, जबकि वर्तमान प्रश्नगत जमीन खाता संख्या–01 एवं खाता संख्या–06 की जमीन जो खेवट संख्या–06 के अंतर्गत में है तथा खेवट संख्या–06 के जमीन जमीन्दार मोदन तिवारी थे, जो आवेदक के पूर्वज थे। यह कि विपक्षी पारसनाथ सिंह के चाचा हरि प्रसाद सिंह एवं मुखिया ब्रहम्देव नारायण सिंह, जो पारसनाथ सिंह के पिता थे, प्रतापपुर अंचल काफी बोलबाला एवं दबंग किस्म का व्यक्ति थे, जो इनके प्रभाव में आकर राजस्व कर्मचारी के द्वारा खाता संख्या–01 एवं 06 की जमीन का जमाबंदी खोलकर पारसनाथ सिंह के नाम से रसीद निर्गत हुआ, जो आवेदक के द्वारा आपति किये जाने पर वर्तमान में रसीद निर्गत होना स्थागित कर दिया गया। यह कि माननीय, उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के द्वारा न्यायिक अवधारणा दिया गया है कि **"यदि किसी व्यक्ति के नाम से राजस्व कर्मचारी के द्वार जमाबंदी खोलकर रसीद निर्गत किया जाता है तो जामबंदी रद्द करने का अधिकार अंचल अधिकारी को ही प्राप्त है। (जे0 सी0 आर0 2009, भोल्युम 2, पेज नं0 153, झारखण्ड उच्च न्यायालय)।** यह कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा विपक्षी का अवैध ढंग से चल रही जमाबंदी को पाते हुए संदिग्ध बतलाया गया तथा आवेदक से लेकर अभी तक का रसीद निर्गत करने हेतु एवं विपक्षी के जमाबंदी को रद्द करते हुए प्रथम पक्ष के नाम से जमाबंदी कायम करने हेतु आदेश पारित किया गया है। यह कि माननीय, उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा अवैध जमाबंदी से संबंधित निर्णय पारित किया है कि Cancellation was passed when the revenue authority found the same was opened by Karamchari without any valid order from competent authority. Case Law-2005 (1) J.C.R. 329 Jhr. 2003 (4) J.C.R. 41, J.C.R. 2004 Page 497-2004, J.C.I.R. Page 718- 2007 (2) Supreme Court page- 2007 (2) Page 355. Jamabandi Running or standing in the name of any particular person No bar under law in cancelling the same.

J.C.R. 2001 (3) Page 2006
J.C.R. 2003 (3) Page 41
J.C.R. 2004 (1) J.C.R 497 यह कि अंचल अधिकारी प्रतापपुर के द्वारा विधिपूर्ण तरीके से आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत करते हुए जमाबंदी कायम करने की कृपा की जाय। यह कि विपक्षी के द्वारा अंचल अधिकारी के आदेश का अपील दाखिल नही किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा पारित आदेश को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के तहत स्वीकार करते हैं। यह कि आवेदक अपनी ओर से दावे से संबधित इस लिखित बहस के साथ दस्तावेज के संलग्न कर दाखिल कर रहे हैं तथा पूर्व अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के अभिलेख में भी आवेदक का हक–हकियत से संबंधित दस्तावेज दाखिल किया गया है। यह कि आवेदक के द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं लिखित जवाब के आधार पर आवेदक अपने मुकदमें वाली जमीन से संबंधित दावा को पूर्ण रूप से सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विद्वान अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखते हुए आवेदक के नाम से जमाबंदी खोलने का अनुशंसा को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि–"यह है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा विपक्षी के पिता–स्व0 पारसनाथ सिंह एवं जनार्दन सिंह के नाम से लंबे समय चल रहे जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ भेजा गया है, जो पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है कि द्वितीय पक्ष का दावा खेवट संख्या–02 एवं 2/1 के भूमि का है, जो दो निबंधित सेल डीड संख्या–309/20, दिनांक–01.07.1990 एवं 354/1921, दिनांक–11.11.1921 के माध्यम से 08 आना में चौधरी गौरी सिंह के द्वारा तिरथ राज मिश्र, देव लाल मिश्र, बासुदेव मिश्र, सभी पिता–रामजीवन मिश्र से क्रय की गई है। यह है कि स्व0 पारसनाथ सिंह एवं स्व0 जनार्दन सिंह, दोनों स्व0 चौधरी गौरी सिंह के वंशज है। द्वितीय पक्ष अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। यह है कि भूपेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 हरि प्रसाद सिंह के द्वारा डीड संख्या–3753, दिनांक–29.08.2013 के माध्यम से अपने हिस्से की भूमि मौजा–माल्हन, खाता संख्या–05, प्लॉट–16, रकवा–$7\frac{3}{4}$ डी0 भूमि, खाता संख्या–1/2, प्लॉट संख्या–8/23, रकवा–26 डी0, दिनांक–12.08.2014 को एवं डीड संख्या–2502/2448/2015, दिनांक–11.05.2015 के माध्यम से खाता संख्या–1/3, प्लॉट संख्या–13,

रकवा–08 डी0 भूमि बिक्री किया गया है। खरीदार उक्त भूमि पर दखलकार है, लगान देकर सरकारी रसीद निर्गत करवा रहें हैं। यह है कि जनार्दन प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 हरि सिंह के द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि मौजा–माल्हन, खाता संख्या–1/2, प्लॉट संख्या–18, रकवा–10 डी0 भूमि एवं 0.6$\frac{1}{2}$ डी0 भूमि सेल डीड संख्या–5444, दिनांक–17.11.2014 को बिक्री किया गया है, जिसपर खरीदार दाखिल होकर, सरकारी रसीद निर्गत करवा रहे है। यह है कि रविन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 हरि सिंह के द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि मौजा–माल्हन, खाता संख्या–1/2, प्लॉट संख्या–48, रकवा–04 डी0 भूमि डीड संख्या–7292, दिनांक–10.01.2010 के माध्यम से तथा रकवा–08 डी0 भूमि डीड संख्या–7293, दिनांक–01.10.2010 के माध्यम से बिक्री किया गया है। खरीदार उक्त भूमि पर दखलकार है, लगान देकर सरकारी रसीद निर्गत करवा रहें हैं। यह है कि भूपेन्द्र प्रसाद सिंह एवं जनार्दन प्रसाद सिंह के खरीदार तथा रविन्द्र प्रसाद सिंह एवं हरि सिंह साथ ही साथ स्व0 गोवर्धन सिंह के पुत्रों को अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा अभिलेख अग्रसारित करने के पूर्व ना ही नोटिस निर्गत किया गया और ना ही सुनवाई हेतु मौका दिया गया। इस तरह आवश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण अंचल अधिकारी, प्रतापपुर का आदेश खारिज करने के योग्य है। यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि मोदन तिवारी मौजा–अहिपुरा के पूर्व जमीन्दार या खेटवटदार थे जबकि मोहन तिवारी मौजा–मदनपुर पुराना जिला–गया के निवासी है तथा मौजा–अहिपूरवा के पूर्व जमीन्दार नहीं थे, इसलिए द्रोपति देवी के द्वारा प्रथम पक्ष के पूर्वज को यदि हुकुमनामा दिया गया था तो वह फर्जी एवं बनावटी है। यह है कि पारसनाथ सिंह को क्षतिपूर्ति वाद संख्या–649/1950 के माध्यम से मुआवजा प्राप्त किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के समक्ष दायर धारा 144 के अन्तर्गत कार्रवाई में भी द्वितीय पक्ष के दखल कब्जा एवं खरीदारों का घर बने होने की बात की पुष्टि हुई है। यह है कि आवेदक के द्वारा खरीदारों का म्यूटेशन हो जाने के बाद स्व0 पासरनाथ सिंह एवं जनार्दन सिंह का जमाबंदी रद्द करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। इससे पूर्व कभी भी जमाबंदी के विरूद्ध अपील दायर नहीं किया गया था। विविध वाद के माध्यम से जमाबंदी रद्द नहीं किया जाना चाहिए एवं आवेदक को सिविल कोर्ट जाने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा बिना द्वितीय पक्ष के कागजातों का अवलोकन किये ही जमाबंदी रद्द करने

हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः अचल अधिकारी, प्रतापपुर का आदेश खारिज करने के योग्य है।

अचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि–उभय पक्ष उपस्थित उभय पक्ष के द्वारा अपने–अपने पक्ष में ब्यान एवं भू–कागजात की प्रति सुपूर्द किये। प्रथम पक्षकार से आवेदक श्री प्रकाश तिवारी, पिता–स्व0 चन्द्रदेव तिवारी ग्राम–माल्हन पो0–योगियारा, थाना–प्रतापपुर के द्वारा बताया गया कि खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–08 रकवा–08.70 ए0 मधे रकवा–4.34 ए0 विपक्षी मोदन तिवारी के नाम से अंकित है। खतियान में भी स्व0 मोदन तिवारी के नाम से अंकित है। हमारे पूर्वज में कोई भी व्यक्ति विक्रय/डिड केवाला नहीं किये है। रजीस्टर 2 में छेड़–छाडकर अवैध ढंग से विपक्षी द्वारा रसीद निर्गत कराया गया हैं। विपक्षी द्वारा समर्पित एक ही जमीन के दो सादा हुकुमनामा की छायाप्रति संलग्न किये है जिसमें हुकुमनामा में दिनांक भिन्न–भिन्न पाया गया है। क्षतिपूर्ति रिटर्न में भी खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–08 रकवा–04.34 ए0 जिक्र विपक्षी द्वारा समर्पित रिटर्न मे मौजुद नहीं है। जबकि जमीन्दारी रसीद में भी माल 9 रू0 दर्ज हैं। रिटर्न में प्लॉट को अवैध ढंग से फेर बदल किया गया है। जबकि जमीन मेरे दखल कब्जा में हैं। जिसमें हिस्सा आठ आना है। जो बकास्त खाते की भूमि खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–08, रकवा–08.70 ए0 प्लॉट संख्या–03 रकवा–01. 36 ए0 प्लॉट संख्या–13 रकवा–2.70 एकड़ प्लॉट संख्या–15, रकवा–2.51 ए0 प्लॉट संख्या–18 रकवा–2.14 ए0 प्लॉट संख्या–19 रकवा–4.73 ए0 कुल रकवा–21.81 ए0 होता है, जिसमें मेरा हिस्सा 10.90 ए0 होना चाहिए। लेकिन अवैध ढंग से रसीद निर्गत कराया गया हैं। खेवट खतियान में जो अंकित है उस पर जमीन्दारी उन्मूलन में हमारी परदादी द्रौपदी कुँवर मेरे चाचा के नाम पर एक आने का टिकट पर एक हुकुमनामा दिया गया है, जिस में खाता संख्या 1 एवं 6 मिलाकर कुल रकवा 15.38 ए0 होता है। साक्ष्य में खेवट, खतियान, हुकुमनामा कि छायाप्रति संलग्न किये है। जो अभिलेख में संलग्न है। पारसनाथ सिंह पिता स्व0 ब्रहमदेव नारायण सिंह वगै0 अपने पक्ष में वर्णित खाता–व–प्लॉट में निहित रकवा के समर्थन में यह ब्यान दिये कि विवादित भूमि केवाला संख्या 354/11.11.21 के द्वारा बकास्त मालिक श्री तिर्थराज मिश्रा पिता–देवलाल मिश्रा मौजा–दंतार (हंटरगंज) से पुरे मौजा ग्राम–माल्हन के आठ आना की खरीद की गई है। नकल की छायाप्रति तथा इस खाता–व–प्लॉट का हुकुमनामा दो प्रति में (छायाप्रति)

जमीन्दारी रसीद–04 प्रति में, सरकारी रसीद 5 प्रति में Correction slip 22/75-76 की छायाप्रति दिखलाते हुए अपना हक जताये हैं। राजस्व कर्मचारी के अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किये है कि विवाद ग्रस्त भूमि ग्राम–माल्हन थाना नं0–220 अंतर्गत खाता संख्या 01 प्लॉट संख्या–08, रकवा– 8.70 मधे रकवा 4.34 एकड़ भूमि खतियान में बकास्त खाता की है। आवेदक प्रकाश तिवारी के द्वारा समर्पित 01 आना के टिकट पर सादा हुकुमनामा जो संवत 2000 साल की दिखाया गया है, जो आवेदक के दादी द्रौपदी कुँवर पति–मुंशी तिवारी के द्वारा अपने पुत्र सुर्यदेव तिवारी के नाम से हुकुमनामा दिया गया है जिसका खाता इस प्रकार है:–

मौजा	खाता	प्लॉट	रकवा (एकड़ में)
माल्हन	01	03	1.36
		08	8.70
	06	02	5.09
		09	0.23
	कुल–		15.38

आवेदक के नाम से 11 एकड़ 04 डी0 का रसीद निर्गत हो रहा है। शेष के विरूद्ध मात्र खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–08 में रकवा–4.34 ए0 राजस्व रसीद विपक्षी पारसनाथ सिंह वगै0 के नाम से रसीद निर्गत हो रही हैं जो विवाद क्षतिपूर्ति रिटर्न में प्लॉट संख्या 08 का कोई जिक्र नही किये है, विवादित भूमि आवेदक के दखल कब्जे में है। जो पूर्व से जोत–आबाद जारी है। उपर्युक्त सभी पक्षकार द्वारा समर्पित भू–कागजात की छायाप्रति एवं अपने–अपने पक्ष में दिये गये ब्यान एवं कार्यालय में उपलब्ध राजस्व कागजात के आवलोकनोपरांत निष्कर्ष इस प्रकार है। विवादित भूमि ग्राम–माल्हन थाना नं0–220 अंतर्गत खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–08, रकवा–8.70 ए0 मधे रकवा–4.34 ए0 जो खतियान में अभिधारी के स्थान पर बकास्त लगान पाने वाले तथा स्वत्वधारी के नाम व खेवट संख्या में 06 शामीलात मालीकान वर्णित है, खाता संख्या–01 अंतर्गत भूमि इस प्रकार है।

मौजा	खाता	प्लॉट	रकवा (एकड़ में)
माल्हन	01	03	1.36 ए0
		08	8.70 ए0
		13	2.37 ए0
		15	2.51 ए0
		18	2.14 ए0

19	4.73 ए0

कुल– 21.81 ए0 भूमि उल्लेखित है।

आवेदक ने अपने पक्ष में जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व खेवटदार स्व0 मोदन तिवारी के पुत्रवधु द्रौपदी कुँवर पति–मुशी तिवारी द्वारा 1 आना के टिकट पर हुकुमनामा अपने पुत्र सुर्यदेव तिवारी को दिया गया है, कि छायाप्रति एवं संबंधित हुकुमनामा से उस पर निर्धारित राजस्व माल 7 रूपया 3 आना जो अबतक इनके एवं आश्रितों द्वारा सरकार को दिये जाने साथ ही संबंधित भू–कागजात के आधार पर दखल कब्जा दर्शाया गया है।

मौजा	खाता	प्लॉट	रकवा (एकड़ में)	माल
माल्हन	01	03	1.36	7 रू0 3 आना 2 पैसा
		08	8.70	दि 15 जेठ संवत 2000
	06	02	5.09	
		09	0.23	
		कुल–	15.38	

आवेदक द्वारा कुल रकवा–15.38 ए0 के विरूद्ध 11.04 ए0 का ही राजस्व रसीद निर्गत होने के कारण शेष भूमि 4.34 का राजस्व विपक्षी के नाम निर्गत होने पर विवाद उत्पन्न हैं। जबकि आवेदक विवाद ग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण रूप से दखल कब्जा कर खेती कर रहे है। पुनः इनके द्वारा समर्पित हुकुमनामा दो प्रकार के जो संवत 2000 एवं 2007 है जो संदेह उत्पन्न करता है। इनके द्वारा समर्पित जमीन्दारी रसीद माल भिन्न–भिन्न प्रकार का है, इनके द्वारा समर्पित राजस्व रसीद में मालगुजारी की भिन्नता है। इनके पिता द्वारा B.L.R ACT के तहत् दिये जाने वाले बकास्त में प्लॉट संख्या–8 जिक्र नहीं है। इनके पिता द्वारा दाखिल रिटर्न प्लॉट संख्या 08 में जिक्र नहीं है, बल्कि प्लॉट संख्या–8 के स्थान पर प्लॉट संख्या–4 उल्लेखित है, जबकि प्लॉट संख्या–4 का रकवा–4 डी0 ही है खाता संख्या–01 अंतर्गत राजस्व निर्गत का ब्यौरा इस प्रकार है।

माल्हन आवेदक वगै0

खाता	प्लॉट	रकवा (एकड़ में)
01	03	1.36 ए0
	08	4.36 ए0
	कुल–	5.72 ए0

विपक्षी वगै0

खाता	प्लॉट	रकवा
01	08	4.34 ए0
	13	2.37 ए0
	15	2.51 ए0
	18	2.14 ए0

19	4.73 ए0
कुल–	16.09 ए0

इस प्रकार विपक्षी का आठ आना से अधिक का राजस्व रसीद निर्गत हो रहा है साथ ही विवाद ग्रस्त भूमि का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जो पूर्ण रूपेन संदेह उत्पन्न करता है। अतः आवेदक का पक्ष उपर्युक्त तथ्यों एवं राजस्व कागजातों, दखल कब्जा आदि के आधार पर आवेदक सहित अन्य हिस्सेदार के नाम जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से राजस्व रसीद निर्गत किये जाने हेतु आदेश की स्वीकृति के लिए अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेजें। विपक्षी के जमाबंदी को निरस्त करते हुए प्रथम पक्ष के नाम जमाबंदी दर्ज करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों, अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते हैं :–

1. बकास्त भूमि का मामला।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियान के आधार पर खतियानी रैयत का वंशज एवं आवेदक की दादी के नाम से हुकुमनाना बंदोबस्ती बताते हुए भूमि पर दावा।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि निबंधित सेल डीड से प्राप्त होने के आधार पर दावा।
4. द्वितीय पक्ष के द्वारा अन्य रैयतों के साथ भूमि बिक्री किये जाने का मामला।
5. प्रश्नगत खाते की भूमि में उभय पक्षों का जमाबंदी कायम होने का मामला।

1) <u>बकास्त भूमि का मामला</u> :–अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख के आदेश फलक में अंकित है कि–" राजस्व कर्मचारी के अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किये है कि विवाद ग्रस्त भूमि ग्राम–माल्हन थाना नं0–220 अंतर्गत खाता संख्या 01 प्लॉट संख्या–08, रकवा– 8.70 मधे रकवा 4.34 एकड़ भूमि खतियान में बकास्त खाता की है।"

2) <u>प्रथम पक्ष के द्वारा खतियान के आधार पर खतियानी रैयत का वंशज एवं आवेदक की दादी के नाम से हुकुमनाना बंदोबस्ती बताते हुए भूमि पर दावा</u> :–अचंल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि–"प्रथम पक्षकार से आवेदक श्री प्रकाश तिवारी, पिता–स्व0 चन्द्रदेव तिवारी ग्राम–माल्हन पो0–योगियारा, थाना–प्रतापपुर के

10 Misc

अदालत बिन जाँच और फिलहाल मनसूखिर ... कि वकालत मौसूफीन ... 149 प्रभात कुमार 150 ... मेहनताना की तारीख हाजिर ... 208 जानी फौजदारी होकर ...

द्वारा बताया गया कि खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–08 रकवा–08.70 ए0 मधे रकवा–4.34 ए0 विपक्षी मोदन तिवारी के नाम से अंकित है। खतियान में भी स्व0 मोदन तिवारी के नाम से अंकित है। हमारे पूर्वज में कोई भी व्यक्ति विक्रय/डिड केवाला नही किये है। रजीस्टर 2 में छेड़–छाड़कर अवैध ढंग से विपक्षी द्वारा रसीद निर्गत कराया गया हैं।" यह भी उल्लेखित है कि–" विवादित भूमि ग्राम–माल्हन थाना नं0–220 अंतर्गत खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–08, रकवा–8.70 ए0 मधे रकवा–4.34 ए0 जो खतियान में अभिधारी के स्थान पर बकास्त लगान पाने वाले तथा स्वत्वधारी के नाम व खेवट संख्या में 06 शामीलात मालीकान वर्णित है, खाता संख्या–01 अंतर्गत भूमि इस प्रकार है।

मौजा	खाता	प्लॉट	रकवा (एकड़ में)
माल्हन	01	03	1.36 ए0
		08	8.70 ए0
		13	2.37 ए0
		15	2.51 ए0
		18	2.14 ए0
		19	4.73 ए0
		कुल–	21.81 ए0 भूमि उल्लेखेति है।

आवेदक ने अपने पक्ष में जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व खेवटदार स्व0 मोदन तिवारी के पुत्रवधु द्रौपदी कुँवर पति–मुशी तिवारी द्वारा 1 आना के टिकट पर हुकुमनामा अपने पुत्र सुर्यदेव तिवारी को दिया गया है।"

3) द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि निबंधित सेल डीड से प्राप्त होने के आधार पर दावा :– द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि–"यह है कि द्वितीय पक्ष का दावा खेवट संख्या–02 एवं 2/1 के भूमि का है, जो दो निबंधित सेल डीड संख्या–309/20, दिनांक–01.07.1990 एवं 354/1921, दिनांक–11.11.1921 के माध्यम से 08 आना में चौधरी गौरी सिंह के द्वारा तिरथ राज मिश्र, देव लाल मिश्र, बासुदेव मिश्र, सभी पिता–रामजीवन मिश्र से क्रय की गई है। यह है कि स्व0 पारसनाथ सिंह एवं स्व0 जनार्दन सिंह, दोनों स्व0 चौधरी गौरी सिंह के वंशज है। द्वितीय पक्ष अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है।"

4) द्वितीय पक्ष के द्वारा अन्य रैयतों के साथ भूमि बिक्री किये जाने का मामला :– द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि–"भूपेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 हरि प्रसाद सिंह के द्वारा डीड संख्या–3753, दिनांक–29.08.2013 के माध्यम से

अपने हिस्से की भूमि मौजा–माल्हन, खाता संख्या–05, प्लॉट–16, रकवा–7$\frac{3}{4}$ डी0 भूमि, खाता संख्या–1/2, प्लॉट संख्या–8/23, रकवा–26 डी0, दिनांक–12.08.2014 को एवं डीड संख्या–2502/2448/2015, दिनांक–11.05.2015 के माध्यम से खाता संख्या–1/3, प्लॉट संख्या–13, रकवा–08 डी0 भूमि बिक्री किया गया है। खरीदार उक्त भूमि पर दखलकार है, लगान देकर सरकारी रसीद निर्गत करवा रहे है। यह है कि जनार्दन प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 हरि सिंह के द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि मौजा–माल्हन, खाता संख्या–1/2, प्लॉट संख्या–18, रकवा–10 डी0 भूमि एवं 0.6$\frac{1}{2}$ डी0 भूमि सेल डीड संख्या–5444, दिनांक–17.11.2014 को बिक्री किया गया है, जिसपर खरीदार दाखिल होकर, सरकारी रसीद निर्गत करवा रहे है। यह है कि रविन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 हरि सिंह के द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि मौजा–माल्हन, खाता संख्या–1/2, प्लॉट संख्या–48, रकवा–04 डी0 भूमि डीड संख्या–7292, दिनांक–10.01.2010 के माध्यम से तथा रकवा–08 डी0 भूमि डीड संख्या–7293, दिनांक–01.10.2010 के माध्यम से बिक्री किया गया है।"

5) **<u>प्रश्नगत खाते की भूमि में उभय पक्षों का जमाबंदी कायम होने का मामला</u> :– अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त अभिलेख के आदेश फलक में अंकित है कि–"** विवादग्रस्त भूमि ग्राम–माल्हन थाना नं0–220 अंतर्गत खाता संख्या 01 प्लॉट संख्या–08, रकवा– 8.70 मधे रकवा 4.34 एकड़ भूमि खतियान में बकास्त खाता की है। आवेदक प्रकाश तिवारी के द्वारा समर्पित 01 आना के टिकट पर सादा हुकुमनामा जो संवत 2000 साल की दिखाया गया है, जो आवेदक के दादी द्रौपदी कुँवर पति–मुंशी तिवारी के द्वारा अपने पुत्र सुर्यदेव तिवारी के नाम से हुकुमनामा दिया गया है जिसका खाता इस प्रकार है:–

मौजा	खाता	प्लॉट	रकवा (एकड़ में)
माल्हन	01	03	1.36
		08	8.70
	06	02	5.09
		09	0.23
	कुल–		15.38

आवेदक के नाम से 11 एकड़ 04 डी0 का रसीद निर्गत हो रहा है। शेष के विरूद्ध मात्र खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–08 में रकवा–4.34 ए0 राजस्व रसीद विपक्षी पारसनाथ सिंह वगै0 के नाम से रसीद निर्गत हो रही है।"

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में संबंधित पक्षों के द्वारा खतियान, खेवट, हुकुमनामा एवं निबंधित सेल डीड के आधार अपना–अपना दावा किया जा रहा है। वाद से संबंधित प्रश्गत भूमि बकास्त खाते की भूमि है। वाद से संबंधित भूमि में स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। इस न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामलें में सक्षम न्यायालय/ civil court ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय/ civil court की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह॰/ 20/10/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

ह॰/ 20/10/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 09:00:35 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe